न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :–03 / 108 / 2022 ऑनलाई नम्बर:–2022 / 535 प्रवेश तिथि:–09.12.2022

1. श्रीनारायण दत्तक मनीराम जाति मीना निवासी आमकीवाल राजगढ जिला अलवर।

.....अप्रार्थी / वादीगण

बनाम्

1. मनमोहन पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी आमकीवाल राजगढ जिला अलवर।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी आमकीवाल राजगढ जिला अलवर।

.....प्रार्थी / प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा O 9 R 13 CPC
उपस्थित– श्री दीपक जैमन एड०–अप्रार्थी / वादीगण
श्री मनीष गुप्ता एड. प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

–:निर्णय:–

दिनांक 19 / 01 / 2026

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र O 9 R 13 CPC द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 रूल 13 दी.प्र.सं. के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 1358 / 0.11, 1359 / 0.58, 1706 / 0.14, 1708 / 0.18, 1727 / 0.20, 1753 / 0.44, 1763 / 0.41, 1787 / 0.03, 1788 / 0.06, 1847 / 0.24, 3367 वाके ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। जिसमें जिसमें न्यायालय श्रीमान ने जरिये रम्मन तलब फरमाया गया। किन्तु मिन प्रतिवादी की विधित रूप से तामील नही होने पर न्यायालय श्रीमान ने प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक तामील कराये जाने के आदेश पारीत किये गये तत्पश्चात प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांक 17.02.2014 को वादी द्वारा डाकघर की तामील रशीद प्रस्तुत की गई। जिस पर न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रतिवादी की विधिवत तामील होना मानते हुए उसी दिन प्रतिवादी की अनुपस्थिति पर उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तदुपरान्त दिनांक 28.10.2021 को न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई। तथा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने बाबत तहसीलदार साहब राजगढ को निर्देश प्रदान किये गये। तहसीलदार साहब राजगढ द्वारा कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने बाबत एक नोटिस दिनांक 01.11.2022 को मिन प्रतिवादी को जारी किया गया। जिस नोटिस की तामील मिन प्रतिवादी को दिनांक 07.11.2022 को हुई। जिस पर प्रतिवादी को उक्त प्रकरण के न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत होने व प्रकरण में स्वयं के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के तथ्य का ज्ञान हुआ है। क्योंकि न्यायालय श्रीमान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित सम्मन की सम्यक तामील प्रतीवादी को नही हो सकी। ऐसी स्थिती में प्रार्थी / प्रतिवादी के विरूद्व दिनांक 17.02.2014 को अमल में लाई गई एक पक्षीय कार्यवाही पूर्णरूपेण गलत है। उपरोक्त परिस्थिति प्रतिवादी को मूल वाद में अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नही हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.10.2021 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया। अन्त में वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 17.02.2014 को अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करते हुए न्यायालय श्रीमान के द्वारा पारीत की गई प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.10.2021 को अपास्त करते हुए प्रतिवादी / अप्रार्थी को ` प्रकरण में सामुचित पैरवी करने का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अपार्थी/वादीगण की और से श्री दीपक जैमन उपस्थित न्यायाल आये। उनकी और से जवान पेश किया गया जो शामील मिशल है। यह है कि न्यायालय श्रीमान के द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तामील कराई गई थी। तथा उसके बाद जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को दोनो प्रकार से तामील हो गई थी। लेकिन प्रतिवादीगण बाद तामील जानबुझ कर उपस्थित नही आये जिस कारण न्यायालय श्रीमान ने उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसका उन्है पुर्व से ज्ञान था। प्रकरण तामील सन 2013 में हो गई थी। लेकिन बाद तामील प्रतिवादीगण जानबुझकर उपस्थित न्यायालय में उपस्थित नही आये। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य आराजीयात विवादी का विवाद है और प्रार्थी व उसका परिवार अप्रार्थी की आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहता है। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य कई विवाद चल रहे है। तथा उनमें से कई फैसिल हो गये है। प्रार्थी व उसका परिवार सभी वादो में अपनी पैरवी नही कर रहा है। और नही वह बटवारा करवाना चाहता है। न्यायालय श्रीमान के समक्ष मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करने के आदी है। क्योंकि उनका मुल उद्वेश्य आराजीयात को विवादित का विभाजन नही होने देना है। प्रार्थी व उसके परिवाजन को यह ज्ञात है कि अप्रार्थी के द्वारा अपनी आराजीयात का कुछ भाग विक्रय कर दीया गया है। लेकिन उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई संसोधन नही कराया है। और उसके वारिसान के द्वारा भी कोई कार्यवाही नही की गई है। इसी प्रकार प्रार्थी का भी स्वर्गवास हो गया है। जिसकी सुचना प्रार्थीगण को 90 दिवस के अन्दर मरमत सवाल पेश करने थे। लेकिन प्रार्थी के द्वारा सभी बातो का ज्ञान होने के बावजूद भी दिनांक 11.08.2025 को एक सादा प्रार्थीना पत्र पर पेश किया है। जो बिना विधिक प्रावधान के पेश किया है। न तो मयाद का प्रार्थना पत्र किया न ही अन्य कोई प्रार्थना पत्र पेश किया। अन्त में प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज करने का निवेदन किया गया।

3. बहस वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र O 9 R 13 CPC की सुनी गई। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र ने O 9 R 13 CPC में वर्णित तथ्यों को दोहराया मात्र की प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 1358/0.11, 1359/0.58, 1706/0.14, 1708/0.18, 1727/0.20, 1753/0.44, 1763/0.41, 1787/0.03, 1788/0.06, 1847/0.24, 3367 वाके ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। अन्त में वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 17.02.2014 को अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करते हुए न्यायालय श्रीमान के द्वारा पारीत की गई प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.10.2021 को अपास्त करते हुए प्रतिवादी/अप्रार्थी को प्रकरण में समुचित पैरवी करने का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

4. बहस वकील अप्रार्थी की सुनी गई। वकील अप्रार्थी अपने जवान में वर्णित तथ्यों को दोहराया मात्र की प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 1358/0.11, 1359/0.58, 1706/0.14, 1708/0.18, 1727/0.20, 1753/0.44, 1763/0.41, 1787/0.03, 1788/0.06, 1847/0.24, 3367 वाके ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। अन्त में प्रार्थना पत्र आदेश 9 रूल 13 सीपीसी को खारीज करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

प्रकरण में प्रार्थना पत्र, का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 17.02.2014 को अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। इसके बाद हाजा न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.10.2021 की गई थी। जो की प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्व निर्णय दिनांक 09.12.2022 उपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ***O 9 R 13 CPC*** अप्रार्थीगण के द्वारा इस आधार पर पेश किया गया कि उन्हे दावा के बारे में पूर्व में सूचना नही थी। जबकि प्रार्थीगण को दावे के सम्बन्ध में पूर्व में ही सुचना थी। यह है कि प्रारम्भिक डिक्री अन्तिम निर्णय नही है। न्यायालय पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दावा की सूचना नही होने के संबंध में प्रस्तुत नही है। सी0पी0सी0 के सम्यक प्रावधानो के तहत अनुतोष की मांग कर सकता है। ऐसे में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ***O 9 R 13 CPC*** को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पृथम दृष्टया में अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत O 9 R 13 CPC साबित नही होने के कारण खारीज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

यह आदेश आज दिनांक 19/01/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते